<u>प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 06.10.2024</u>

कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर लोन स्वीकृत करने व धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण मे व थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 प्रवीण कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 214/24 धारा 409,419,420,467,468,471,120 बी भा0द0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त अमरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण</u> –
भारतीय स्टेट बैंक शाखा जंगल कौडिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा कूटरचित, अवैध दस्तावेज तैयार धोखाधड़ी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से धन निकाशी, पेंशन लोन व किसान क्रेडिट कार्ड ऋण स्वीकृत कर, ऋण राशि 3 लाख रुपये हड़पने व 80 लाख से अधिक रुपये का फर्जीवाडा करने के आरोप में, शाखा प्रबन्धक SBI से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>
अमरेन्द्र सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह निवासी-मौर्या टोला दरगहिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-</u>
मु0अ0सं0 214/24 धारा 409,419,420,467,468,471,120 बी भा0द0सं0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तार की टीम-</u>

1- उ0नि0 प्रवीण कुमार सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2- का0 आशीष कुमार थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर